न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर .

पीठासीन अधिकारी: मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 48/17

दायर दिनांक:— 18—04—2017

1— हेतराम
2— श्याम सुन्दर } पिसरान श्री श्योकरण जाति ब्राहम्ण साकिन देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— प्रार्थीगण

बनाम

1— नारायणीदेवी पत्नी श्री देवीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन रायिजासर स्टेशन तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

——— अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी

उपस्थित :—

1— श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थीगण।

—:— निर्णय —:— दिनांकः— 14.08.2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खाता विभाजन एवं बेदखली का वाद—पत्र वादिया नारायणीदेवी पत्नी श्री देवीलाल द्वारा दिनांक 01—04—2015 को प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 65/15 पर दर्ज किया जाकर आगामी पेशी 10—06—2015 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दी गई । आगामी पेशी में सम्मन लोटकर न आने पर इन्तजार सम्मन में आगामी पेशी 27—07—2015 दी गई जिसमें सम्मन में श्योकरण के हस्ताक्षर के आधार पर तलबी मान ली गई । प्रार्थीगण के विरूद्ध वाद—पत्र में दिनांक 07—01—2016 को एक पक्षीय, डिक्री कर दिया गया । आगामी पेशी में वादीया/ अप्रार्थीया के साक्ष्य शपथ—पत्र प्रस्तुत होने पर उसी दिन साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द करके पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31—12—2015 रख दी गई । तथा दिनांक 07—01—2016 को ही प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई । उक्त निर्णय एवं डिक्री करने से पूर्व प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 की तामिल वादीया द्वारा सम्यक रूप से नही करवाई गई । अप्रार्थी ने प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की तलब सम्मन कर श्योकरण के हस्ताक्षर करवाये गये जबकि प्रार्थीगण अपने पिता श्योकरण से काफी समय से अलग रह रहे है । तथा किसी प्रकार की बोल चाल नही थी इसकी जानकारी प्रार्थीगण की चाची वादीया नारायणी देवी को भली भांती पता थी । प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को वाद पत्र से सम्बन्धित कभी कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ । वादीगण भी एक ही गांव के व एक ही परिवार के प्रार्थीगण अप्रार्थीया के सगे भतीजे होने के बावजुद कभी मौखिक रूप से कभी नही कहा कि वो खाता विभाजन करवाना चाहते है । तथा वाद पत्र में बेदखली का वाद पत्र भी प्रस्तुत किया गया बल्कि प्रार्थीगण अप्रार्थीया के मध्य घरेलू बंटवारे के आधार पर काश्त करते आ रहे है । उनके द्वारा ... रकबा में काश्त की ... पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

भी नही है । प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को सम्मन की तामील भी सी पी सी के प्रावधानो अनुसार सम्यक रूप से नही करवाई गई । वादीया द्वारा भेजे गये समन के साथ वाद-पत्र की प्रति नही भेजी गई । जानबुझ कर वाद-पत्र की जानकारी प्रार्थीगण को न हो इसलिए नोटिस की तामील सही नही करवायी गई । इस प्रकार प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को ज्ञान नही हो पाया है । जैरवाद भुमि रोही कोनपालसर के खसरा नं0 168 में 6.134 हे0 व खसरा नं0 289 में 1.455 हे0 कुल 7.589 हे0 बारानी खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 एवं अप्रार्थीया का 1/2 हक/ हिस्सा निहित है । उक्त जैरवाद रकबा के पश्चिम पासा गांव के चिपता होने के कारण उक्त रकबा का घरेलू बंटवारा काफी वर्षो से अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर उतर दक्षिण दिशा के अनुसार कर काश्त करते आ रहे है । अब प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खसरा का पूर्वी पासा की भुमि में समस्त हिस्सा छोड़ दिया जबकि प्रार्थीगण खसरा के पश्चिम पासा की आधी भूमि का हकदार है जो गांव के चिपती होने के कारण बेशकिमती एवं प्रार्थीगण ने अपने कब्जा काश्त हिस्से को इतने वर्षो से आर्थिक खर्च कर कठीन परिश्रम से उपजाऊ बनाया गया को अप्रार्थीया ने अपने नाम खाता विभाजन करवा लिया । वादीया ने उक्त डिक्री अदालत को गुमराह करके प्राप्त की है वादी अदालत में साफ नीयत से नही आयी है सही तरिके से खाता विभाजन करवाना होता तो वादीगण मुझे प्रार्थीगण को अवश्य सुचना देते । प्रार्थीगण कभी भी खाता विभजान के लिए इन्कार नही करते बशर्त भुमी का बंटवारा सही प्रकार से किया जावे । तहसीलदार के विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई जो गलत है तहसीलदार भुमि धारक है तथा उक्त अनवान में वादीया ने खाता विभाजन के साथ बेदखली का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें तहसीलदार भुमि धारक की अहम भुमिका रहती है । निर्णय व डिक्री दिनांक 07-01-2016 का प्रार्थीगण को पूर्व में ज्ञान कतई नही था प्रार्थीगण जैरवाद रकबा पर दिनांक 09-04-2017 को सुड़ निकाल रहे थे तो प्रार्थीगण का चाचा अप्रार्थीया के पति देवीलाल ने प्रार्थीगण को कब्जा काश्त एवं सुधारी भुमि को छोड़ने के लिए कहां तो प्रार्थीगण ने कहां कि वह तो अपने घरेलू बंटवारे के मुताबिक आधा हिस्सा की भुमि काश्त कर रहे है आपकी भुमि तो काश्त ही नही कर रहे है इस पर उसने बताया कि उसकी आधा हिस्सा का बंटवारा कर लिया है इसलिए तुम्हे रकबा छोड़ना पड़ेगा नही तो हम जबरिया खाली करवा लेगे । इस पर प्रार्थीगण पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देख कर बताया कि तुम्हारे रकबा का खाता विभाजन करवा लिया गया है । जिस पर पटवारी हल्का से इन्तकाल की नकल लेकर वकील से सम्पर्क किया ओर इस पर प्रार्थीगण दिनांक 10-04-2017 को ही अदालत में वकील के माध्य से उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07-01-2016 की जानकारी प्राप्त की थी उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 17-04-[illegible] को नकल प्रापत होने पर बिना को देरी किये यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा [illegible] के ज्ञान से अन्दर [illegible] पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

है देरी को माफ कराने के लिए प्रार्थना–पत्र दफा 5 भारतीय मियाद अधि0 को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीया को सम्मन तामिल के उपरान्त भी उपस्थित नही हुये आवाज लगाने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । इसके पश्चात प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादिया नारायणीदेवी पत्नी श्री देवीलाल द्वारा खाता विभाजन एवं बेदखली का वाद–पत्र दिनांक 01–04–2015 को प्रस्तुत किया गया जो वाद संख्या 65/15 पर दर्ज किया जाकर आगामी पेशी 10–06–2015 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दी गई । आगामी पेशी में सम्मन लोटकर न आने पर इन्तजार सम्मन में आगामी पेशी 27–07–2015 दी गई जिसमें सम्मन में श्योकरण के हस्ताक्षर के आधार पर तलबी मान ली गई । आगामी पेशी में वादीया/ अप्रार्थीया के साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत होने पर उसी दिन साक्ष्य प्रतिवादी भी बन्द करके पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 31–12–2015 रख दी गई । तथा दिनांक 07–01–2016 को ही प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई । उक्त निर्णय एवं डिक्री करने से पूर्व प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 की तामिल वादीया द्वारा सम्यक रूप से नही करवाई गई । अप्रार्थी ने प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की तलब सम्मन कर श्योकरण के हस्ताक्षर करवाये गये जबकि प्रार्थीगण अपने पिता श्योकरण से काफी समय से अलग रह रहे है । तथा किसी प्रकार की बोल चाल नही थी इसकी जानकारी प्रार्थीगण की चाची वादीया नारायणी देवी को भली भांती पता थी । प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को वाद पत्र से सम्बन्धित कभी कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ । वादीगण भी एक ही गांव के व एक ही परिवार के प्रार्थीगण अप्रार्थीया के सगे भतीजे होने के बावजुद कभी मौखिक रूप से कभी नही कहा कि वो खाता विभाजन करवाना चाहते है । तथा वाद पत्र में बेदखली का वाद पत्र भी प्रस्तुत किया गया बल्कि प्रार्थीगण अप्रार्थीया के मध्य घरेलू बंटवारे के आधार पर काश्त करते आ रहे है । उनके द्वारा कभी भी अप्रार्थीया के रकबा में काश्त की भी नही है । प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को सम्मन की तामील भी सी पी सी के प्रावधानो अनुसार सम्यक रूप से नही करवाई गई। इस प्रकार प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को ज्ञान नही हो पाया है । जैरवाद भुमि रोही कोनपालसर के खसरा नं0 168 में 6.134 हे0 व खसरा नं0 289 में 1.455 हे0 कुल 7.589 हे0 बारानी खातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 एवं अप्रार्थीया का 1/2 हक/ हिस्सा निहित है । उक्त जैरवाद रकबा के पश्चिम पासा गांव के चिपता होने के कारण उक्त रकबा का घरेलू बंटवारा काफी वर्षो से अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब के आधार पर उतर दक्षिण दिशा के अनुसार कर काश्त करते आ रहे है । अब प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खसरा का पूर्वी पासा की भुमि में समस्त हिस्सा छोड़ दिया कि प्रार्थीगण खसरा के लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] पासा की आधी भूमि का हकदार है जो गांव के चिपती होने के कारण बेशकिमती एवं प्रार्थीगण ने अपने कब्जा काश्त हिस्से को इतने वर्षो से आर्थिक खर्च कर कठीन परिश्रम से उपजाऊ बनाया गया को अप्रार्थीया ने अपने नाम खाता विभाजन करवा लिया । प्रार्थीगण कभी भी खाता विभजान के लिए इन्कार नही करते बशर्त भुमी का बंटवारा सही प्रकार से किया जावे । तथा खाता विभाजन में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम 18 ता 21 के तहत तहसीलदार द्वारा खातेदार कास्तकारो के मौका अनुसार नक्शा एव रिपोर्ट तैयार की जाती है । इसके पश्चात अन्तिम डिक्री निर्णित की जाती है । जो इस प्रकरण मे नही किया गया । निर्णय व डिक्री दिनांक 07–01–2016 का प्रार्थीगण को पूर्व में ज्ञान कतई नही था। प्रार्थीगण को खेत में कार्य करते वक्त प्रार्थीगण के चाचा देवीलाल ने बताने पर उक्त खाते विभाजन का ज्ञान हुआ उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया और दिनांक 17–04–2017 को नकल प्राप्त होने पर बिना को देरी किये यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जो फेसले के ज्ञान से अन्दर मियाद है देरी को क्षमा करते हुये प्रार्थना–पत्र निर्णित करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावैजो का गहनता से पठन व मनन किया गया । प्रार्थीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार कास्तकार है । तथा प्रार्थीगण की तामिल सम्यक रूप से नही होना पाया जाता है तथा प्रार्थीगण की जानकारी एवं दफा 5 मियाद प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत होने तथा इसका किसी प्रकार का कोई खण्डन नही होने पर प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है । प्रार्थीगण / प्रतिवादी नं0 1 व 2 की तामिल वादीया द्वारा सम्यक रूप से नही करवाई गई । अप्रार्थी ने प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण की तलब सम्मन कर श्योकरण के हस्ताक्षर करवाये गये । खाता विभाजन में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम 18 ता 21 के तहत तहसीलदार द्वारा खातेदार कास्तकारो के मौका अनुसार नक्शा एव रिपोर्ट तैयार की जाती है । इसके पश्चात अन्तिम डिक्री निर्णित की जाती है । जो इस प्रकरण मे नही किया गया । इसलिए प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 65/15 अनवान नारायणीदेवी बनाम श्यामसुन्दर वगैरा निर्णय व डिक्री दिनांक 07–01–2016 को अपास्त किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में दिनांक 07–01–2016 से पूर्व की स्थित को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त अनवान की पत्रावली को पुनः पेशी में लिये जाने का आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)